झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांकः–न0वि0वि0 08/2020–04 चास दिनांकः–31/07/2020

सेवा में,

श्री/श्रीमती ओम प्रकाश सिंह
पिता/पति श्री इन्द्र सिंह
पता– दारू नगर कोलनी, चास, जिला- बोकारो।

विषयः– आवासीय/~~व्यवसायिक/व्यवसायिक सह आवासिय/औद्योगिक/संस्थागत~~ भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केस नं0 बी0डी0 – 61/18-19 संबंधी आपके आवेदन दिनांक– 09/10/18 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या– ~~20/8/18~~ 4275/22/4/18 ~~22/4/18~~ 1435 दाखिल खरिज अभिलेख संख्या– 3049/R27/18-19 3050/R27/18-19 जमाबंदी संख्या– 91,92/26 से निर्गत लगान रसीद वर्ष ..... की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं **Indemnity Bond** एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशांसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/~~व्यवसायिक/व्यवसायिक सह आवासिय/औद्योगिक/संस्थागत~~ भवन संबंध बी0डी0 केस नं0– 61/18-19 के नक्शों की स्वीकृति प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि- रानीपोखर-20 मौजा अन्तर्गत खाता नं0– 353,354,360, प्लॉट नं0– 2150, 2098,2099, –, रकवा– 2.3 डिसमील/एकड़ भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री Ashok Kumar की देख–रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शों के अनुसार अधिकतम 3 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत् निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबंध निदेशाक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय–समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

झमाडा भवन विनिमय के दायरे में आवासीय/~~व्यवसायिक/व्यवसायिक सह आवासिय/औद्योगिक/संस्थागत~~ भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजके लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भूस्वामित्व का प्रमाण स्थपित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मवार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

स्ट्रेक्चर डिजायन, सोवायल टेस्ट एवं प्लबिंग रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा।

Plinth के निर्माण के बाद आवेदक/आवेदिका सूचित करेंगे और अभियंता स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात् ही आगे की निर्माण कार्य जारी रहेगी।

भविष्य में भूमि संबंधी विवाद अथवा कागजातों में कोई गलत साबित होने पर या जिले के राजस्व शाखा एवं न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित रहने/होने पर यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं तदनुसार नक्शे की स्वीकृति भी स्वतः प्रमापित होगी।

आवेदक/आवेदिका द्वारा श्रम उपकर के मद में 1% कुल रु0– 3,00,384/- का 1/3 भाग का बैंक ड्राफ्ट जिसकी राशि रु0– 1,00,400/- एवं दो पोस्ट डेटेड चेक जमा किया गया है।

31/7/20

कार्यपालक अभियन्ता
नगर निवेशन विभाग,
झामाडा, धनबाद।